

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

<p>वादी ① भागाराम पुत्र जेशराम ग्रां नि० डांबोकेरी च०डेमा व डांब-2</p>	<p>बनाम</p>	<p>प्रतिवादी ① शान्ति पुत्री काला ज्ञा० नि० डांबोकेरी च०डेमा व अलि-42</p>
---	-------------	--

राजस्व वाद - संख्या 6 / 2021

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92 ए, 20 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख	हुकम या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
	<p>9/2 यह राजस्व वाद वादी गण की ओर से प्रतिवादी गण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92 ए, 20 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। अतः यह राजस्व वाद का पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन / नोटिस जारी किये जावें।</p> <p>पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 3/3/21 को पेश हो।</p> <p>8/3/21 पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र परिस्थित पीठासीन अधिकारी, अल्प काल में होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक 12/3/21 को पेश हो।</p> <p>12/3/21 ज्जावली पेश की गई है वादी के वादी के अर्थ 0 अनुपात में। वादी एवं वादी का अर्थ 0 की शक - शक कर तीन - तीन 012 कावाम लगाई गई। शक का पत्र</p>	<p>1106</p> <p>सहायक कलेक्टर आबूपर्वत</p> 

वादी एवं वादी का अर्थ 0 अनुपात

किसी वस्तु को कर्म करने
कर्म करने के लिये
विशेष ध्यान हो

कर्म करने के लिये
होकर होकर होकर

के
सहायक कर्मकर्ता
आव-पत्र